

**कार्यालय: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)**  
**// भर्ती हेतु विज्ञापन //**

क्रमांक— क/दो-12-15/2015

रायपुर, दिनांक : 29.09.2018

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-2017-21-01162/बी-3/चार, दिनांक 16.03.2017 द्वारा दी गयी अनुमति के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापना, रायपुर (छ0ग0) में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के वेबसाइट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) पर दिनांक 05.10.2018 से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

- |    |  |                               |  |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1. | परीक्षा की तिथि                          | —                             | 16 दिसंबर, 2018(रविवार)                          |
| 2. | परीक्षा का समय                           | .-                            | पूर्वाह्न 09.00 बजे से 12.15 बजे तक              |
| 3. | ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि | —                             | 05.10.2018 (शुक्रवार)                            |
| 4. | ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि     | —                             | 23.10.2018 (मंगलवार)<br>रात्रि 11.59 तक          |
| 5. | परीक्षा केन्द्र —                        | 05 संभागीय मुख्यालय           | — अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग,<br>जगदलपुर, रायपुर |
| 5. | परीक्षा शुल्क —                          | सामान्य वर्ग                  | — 350/-  |
|    |  | अन्य पिछड़ा वर्ग              | — 250/-  |
|    |  | अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति | — 200/-  |



1. रिक्त पदों का नाम, उनकी संख्या एवं वेतनमान--

सहायक ग्रेड-3 - कुल 25 पद वेतनमान - वेतन मेट्रिक्स लेवल -4  
(गैर पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन 1900)

रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण निम्नानुसार है :-

सं. क्र.	वर्ग	रिक्त पदों की कुल संख्या	कॉलम -3 में से				कुल योग
			मुक्त पदों की कुल संख्या	महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों की संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अनारक्षित	12	07	03	02	-	12
2	अनुसूचित जाति	04	02	01	01	-	04
3	अनुसूचित जनजाति	08	-	03	04	01	08
4	अन्य पिछडा वर्ग	01	01	-	-	-	01
	कुल योग	25	10	07	07	01	25

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किये जाने वाले चयन माननीय छठगठ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, क्रमांक-592/2012, क्रमांक-593/2012 तथा क्रमांक-594/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार अथवा इस स्थापना की आवश्यकता अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. सहायक ग्रेड-3 पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं :-

- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों तथा आरक्षित वर्ग (अजा./अजाजा./अपिव.) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (2) छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
- (3) कम्प्यूटर में डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।
- (4) कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जायेगी)



नोट :- उपरोक्त क्रमांक-(4) की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा के समय ही की जायेगी।

**महत्वपूर्ण टीप :-** सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर विषय से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 9-1/2008/1/3, दिनांक 01.02.2013 एवं क्रमांक-एफ 9-4/2015/1/3, दिनांक 23.01.2015 द्वारा निर्धारित की गई, के अनुसार होगी।

**आयु-सीमा -** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01/01/2018 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को कैलेंडर वर्ष 2016 में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (किमीलेयर को छोड़कर), महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिला कर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**नियुक्ति के लिये शर्तें :-**

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।
2. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किये हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदक को अपने आवेदन-पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाईस्कूल (दसवीं) की अंकसूची, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के अन्य प्रमाण पत्र स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियां कौशल परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3, दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप-(एक) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक द्वारा गलत जानकारी देने या आवश्यक अर्हता नहीं रखने पर उसका चयन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियुक्ति हो जाने पर भी उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।




6. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ऑनलाईन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर लें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिये किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. छ0ग0 लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।
9. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जायेगा।
10. चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जावेगा तथा विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।
11. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मान कर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान हो तो लिखित परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
13. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

**क्षा पध्दति :-**

**1 संयुक्त लिखित परीक्षा :-**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा उपरोक्त सभी पदों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 200 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे :-



1.	सामान्य अध्ययन	—	50 अंको के	कुल 50 प्रश्न
2.	सामान्य मानसिक योग्यता	—	30 अंको के	कुल 30 प्रश्न
3.	कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी	—	30 अंकों के	कुल 30 प्रश्न
4.	सामान्य गणित	—	30 अंकों के	कुल 30 प्रश्न
5.	सामान्य हिन्दी	—	40 अंकों के	कुल 40 प्रश्न
6.	सामान्य अंग्रेजी	—	20 अंकों के	20 प्रश्न

#### 6. मूल्यांकन पध्दति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिये शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

#### (ब) कौशल परीक्षा :-

- लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरीट सूची से कौशल परीक्षा हेतु कुल रिक्तियों के विरुद्ध 1:5 (एक अनुपात पांच) में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
- कौशल परीक्षा केवल रायपुर में आयोजित की जावेगी।
- सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु हिन्दी में कम्प्यूटर टायपिंग 5000, की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के लिये कौशल परीक्षा ली जावेगी जिसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- 15 मिनट की टायपिंग परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें 250 शब्द (1250 key डिप्रेशन) टाईप करने हेतु दिये जावेंगे।

अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में Qualify होने के लिये दो शर्तें पूरी करनी होगी :-

- (1) टाईप करने हेतु दिये गये सभी 250 शब्दों को 15 मिनट में टाईप करना होगा।
- (2) टाईप किये हुये 250 शब्दों में से न्यूनतम 75% शब्द पूर्णतः सही टाईप करना आवश्यक होगा।



कौशल परीक्षा के लिए कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति -

- (1) अभ्यर्थी को टाइप किये जाने वाला Text, Computer-Screen पर ऑनलाइन दिखाई देगा । जिसे देखकर, उसे उसी Screen में निर्धारित समय में टाइप करना होगा ।
  - (2) Screen पर कितना समय शेष है व कितने शब्द शेष हैं, इसकी जानकारी अभ्यर्थी को मिलती रहेगी ।
  - (3) यदि अभ्यर्थी कोई शब्द को छोड़ देता है या गलत लिखता है तो कम्प्यूटर Screen पर वो शब्द लाल हो जायेंगे और यदि कोई शब्द छूट जाता है तो आगे के सभी शब्द लाल हो जायेंगे ।
  - (4) अभ्यर्थी को सुविधा होगी कि गलत शब्दों को सुधार सके या बिना सुधारे आगे के शब्दों की टायपिंग जारी रख सके ।
  - (5) अभ्यर्थी यदि समय के पहले टायपिंग कार्य पूर्ण कर लेता है तो उसे Submit बटन दबाकर Lock कर सकता है, अन्यथा 15 मिनट के बाद अपने आप Lock हो जाएगा । अभ्यर्थी 15 मिनट में जितने शब्द टाइप करेगा वह उसका Gross Words (GW) कहलायेगा, जो सही शब्द टाइप करेगा वह उसका Net Word (NW) कहलायेगा ।
- (1) गति की गणना :  $GW/15 \text{ min} =$  टाइप किये गये शब्द प्रति मिनट  
अगर एक शब्द 05 टंकणों का है तो,  
एक मिनट में टंकणों की संख्या = टाइप किये गये शब्द प्रति मिनट X 05  
एक मिनट में टंकणों की संख्या 5000/60 से अधिक होने से ही अभ्यर्थी Qualify माना जायेगा ।
  - (2) शुद्धता की गणना :  $[(NW/GW) X 100]$  को 75% से अधिक होने पर ही अभ्यर्थी को Qualify माना जायेगा ।
  - (3) अभ्यर्थी को गति एवं शुद्धता दोनों में Qualify होना अनिवार्य है ।

नोट : (1) अल्प विराम एवं पूर्ण विराम शब्दों के अंत में लगेंगे तो उन्हें उस शब्द का ही भाग माना जायेगा ।

उदाहरणार्थ - "व्यापम," एक शब्द कहलायेगा ।

(2) अभ्यर्थी को Online Mock Test की सुविधा एक सप्ताह पूर्व से प्रदान की जायेगी

7. चयन प्रणाली :-

व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार तथा वर्गवार मेरीट सूची जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर को उपलब्ध की जावेगी, जिसके आधार पर वर्गवार अंतिम चयन सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।



**यात्रा-व्यय :-**

लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के लिये उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक आना होगा तथा इसके लिये किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा (कम्प्यूटर आपरेटिंग) में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा, भले ही लिखित परीक्षा में उनके प्राप्तांक, चयनित अंतिम उम्मीदवार जो दोनों लिखित व प्रायोगिक परीक्षा में बैठा हो, से अधिक क्यों न हो। उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि नियुक्तकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से योग्य है।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, व्यापम का परीक्षा संचालन नियम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाईट [cgvyapam.choice.gov.in](http://cgvyapam.choice.gov.in) तथा जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर उपलब्ध होगा।



(अब्दुल जाहिद कुरैशी)

अध्यक्ष,

चयन समिति

कार्यालय: जिला एवं सत्र न्यायालय,  
रायपुर (छ0ग0)